



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269877
CG-DL-E-07022026-269877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 536]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

का.आ. 565(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 4 तथा धारा 6 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii) में का. आ. संख्यांक 2694 (अ) तारीख 5 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में –

- (क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर; और
- (ख) उप शीर्षक, 'धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन के नीचे क्रम संख्या 1, 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
"1.	डॉ. तारकेश्वर जैन, पूर्व अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग;	अध्यक्ष

धारा 4 की उप-धारा (3) के नीचे		
“1.	डॉ. रजत चट्टोपाध्याय, प्रशासक और प्रधानाचार्य, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता;	पदेन सदस्य
2.	डॉ. मंगेश रमेशचन्द्र जातकर, सदस्य, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग;	पदेन सदस्य
3.	डॉ. हरचरनजीत कौर, पूर्व विभागाध्यक्ष (रिपर्टरी) और प्रोफेसर, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कानपुर, उत्तर प्रदेश;	पदेन सदस्य”.

[फा. सं. आर.21011/1/2025-ईपी-III-(भाग III)]

सत्यजीत पॉल, उप महानिदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 05 जुलाई, 2021 के का. आ. संख्यांक 2694 (अ) 05 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तारीख 13 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या का. आ. संख्यांक 2716 (अ) द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2026

S.O. 565(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and in pursuance of section 4 and 6 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2694 (E), dated the 5th July, 2021 namely:-

In the said notification, in the table,-

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto; and

(b) under the sub-heading “under sub-section (3) of section 4”, for serial numbers 1, 2, and 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
“1.	Dr Tarkeshwar Jain, Former President, Homoeopathy Education Board, National Commission for Homoeopathy;	Chairperson
Under sub-section (3) of section 4		
“1.	Dr. Rajat Chattopadhyay, Administrator and Principal, Culcutta Homoeopathic Medical College and Hospital, Kolkata;	<i>Ex-officio</i> Member
2.	Dr Mangesh Rameshchandra Jatkar, Member, Homoeopathy Education Board, National Commission for Homoeopathy;	<i>Ex-officio</i> Member
3.	Dr Harcharanjeet Kaur, Former Head of Department (Repertory) & Professor, Pt. Jawahar Lal Nehru State	<i>Ex-officio</i> Member”.

	Homoeopathic Medical College Hospital, Kanpur, Uttar Pradesh;	
--	--	--

[F. No. R.21011/1/2025-EP-III-(Part III)]

SATYAJIT PAUL, Dy. Director General

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O, 2694 (E), dated the 5th July, 2021 and was last amended *vide* notification number S.O.2716(E), dated the 13th June, 2022.